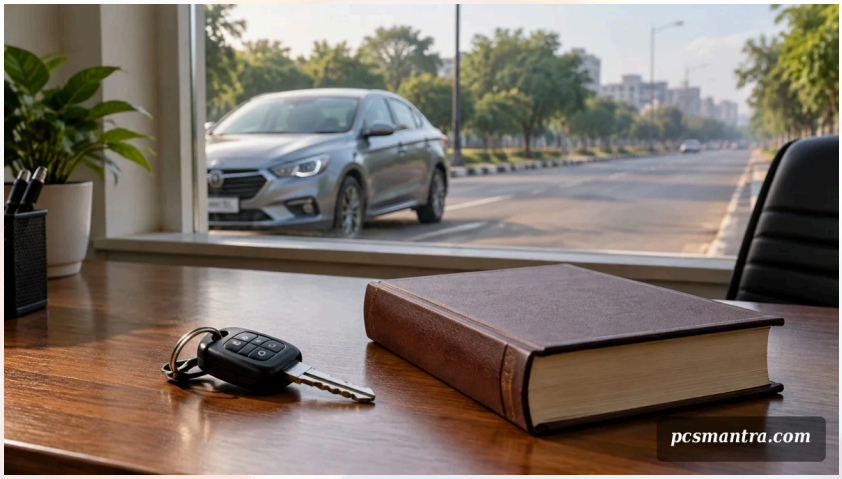
PCS मंत्र

पीसीएस/यूपीएससी परीक्षा-उन्मुख समसामयिकी

कोच्चि दुर्घटना और धारा 199A: किशोर के वाहन-अपराध में अभिभावक की जवाबदेही और बचाव

समाचार-संदर्भ: कोच्चि सड़क दुर्घटना और 29 अक्टूबर 2026 की सुनवाई (द हिंदू, लाइव लॉ); धारा 199A पर इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण। प्रकाशन: 30 अक्टूबर 2026।
मुख्य परीक्षा: GS-2 विधि का शासन और जवाबदेही; GS-3 सड़क सुरक्षा। प्रिलिम्स: मोटर यान अधिनियम, धारा 199A, किशोर न्याय बोर्ड।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

कोच्चि में एक कार से हुई घातक दुर्घटना के बाद नाबालिग चालक के अभिभावक और वाहन-स्वामी की जवाबदेही चर्चा में है। द हिंदू और लाइव लॉ की 29 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार केरल उच्च न्यायालय ने मामले में आरोपी वाहन-स्वामी को अगले आदेश तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया और जाँच में सहयोग करने को कहा। यह अंतरिम संरक्षण है, दोषमुक्ति या मामले के अंतिम निस्तारण का निर्णय नहीं।

मामले की स्थिति: रिपोर्टों तक सीमित

- रिपोर्टों के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 को कार कथित रूप से एक नाबालिग चला रहा था। दुर्घटना में दोपहिया वाहन के चालक की मृत्यु हुई।
- लाइव लॉ के अनुसार वाहन-स्वामी का कहना है कि कार उनकी जानकारी के बिना ले जाई गई थी। यह उनका पक्ष है, सिद्ध तथ्य नहीं।
- उच्च न्यायालय ने पीड़ित परिवार को अग्रिम जमानत याचिका में पक्षकार बनने की अनुमति दी। जाँच जारी है।

इस लेख में नाबालिग, उसके परिवार, घर, विद्यालय और सोशल मीडिया खाते की पहचान बताने वाले विवरण नहीं दिए गए हैं। चर्चा कानून और प्रक्रिया तक सीमित है।

PCSMANTRA.COM

धारा 199A: अभिभावक या वाहन-स्वामी का दायित्व

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 199A किशोर द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की स्थिति से संबंधित है। नीचे दिए प्रावधान 24 जून 2024 के केरल उच्च न्यायालय के आदेश में उद्धृत धारा-पाठ से पढ़े गए हैं। आदेश की प्रति लाइव लॉ पर उपलब्ध है।

- **मूल प्रावधान:** किशोर द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने पर उसका अभिभावक या वाहन-स्वामी उल्लंघन का दोषी माना जाता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही व दंड का प्रावधान है।
- **अपवाद:** अभिभावक या स्वामी यह साबित कर सकता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ, अथवा उसने अपराध रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरती थीं। इसलिए हर दुर्घटना में अभिभावक की सजा स्वतः तय मानना गलत है।
- **सहमति की उपधारणा:** धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि किशोर ने अभिभावक या वाहन-स्वामी की सहमति से वाहन का उपयोग किया। इसे ऊपर दिए बचावों से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए।
- **दंड:** उपधारा (2) में, उपधारा (1) के दंड के अतिरिक्त, तीन वर्ष तक कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
- **लाइसेंस संबंधी अपवाद:** यदि किशोर के पास वैध शिक्षार्थी या ड्राइविंग लाइसेंस था और वह उसी प्रकार का वाहन चला रहा था जिसके लिए उसे लाइसेंस मिला था, तो उपधारा (1) और (2) लागू नहीं होतीं।
- **वाहन का पंजीकरण:** उपधारा (4) में अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीकरण बारह महीने के लिए रद्द करने का प्रावधान है।

2024 के आदेश में प्रक्रिया पर क्या कहा गया था

केरल उच्च न्यायालय के 24 जून 2024 के आदेश (2024:KER:44617, आपराधिक विविध वाद संख्या 34/2024 एवं संबद्ध मामले) में धारा 199A को स्वतंत्र अपराध बताया गया। न्यायालय ने कहा कि किशोर द्वारा मोटर यान अधिनियम का अपराध किया जाना आवश्यक तत्व है; लेकिन अभिभावक या स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने से पहले किशोर न्याय बोर्ड का दोष-निर्धारण अनिवार्य पूर्वशर्त नहीं है।

आदेश के अनुसार जनरल डायरी में किशोर द्वारा अपराध किए जाने की जानकारी दर्ज होने पर कार्यवाही शुरू हो सकती है। इसके बाद बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बिना अनावश्यक देरी के, और कम-से-कम अंतिम रिपोर्ट के साथ, दाखिल होनी चाहिए। आदेश यह भी कहता है कि यदि बोर्ड धारा 17 के अंतर्गत निष्कर्ष दे कि किशोर ने अपराध नहीं किया, तो अभिभावक या स्वामी के विरुद्ध धारा 199A की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती। ये 2024 के अलग मामलों के सिद्धांत हैं; इन्हें वर्तमान दुर्घटना में दोषसिद्धि का निष्कर्ष न मानें।

परीक्षा-दृष्टि

PCSMANTRA.COM

- **कार्यवाही बनाम दोषसिद्धि:** मुकदमा शुरू करने की शर्त और दोष साबित होने की कसौटी अलग हैं।
- **दायित्व बनाम बचाव:** विधि अभिभावक या स्वामी पर जिम्मेदारी डालती है, लेकिन जानकारी न होने और समुचित सावधानी के बचाव भी देती है।
- **अंतरिम आदेश बनाम अंतिम निर्णय:** गिरफ्तारी से संरक्षण मिलने का अर्थ आरोप समाप्त होना नहीं है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. किशोरों द्वारा वाहन चलाने से होने वाले अपराधों में अभिभावक और वाहन-स्वामी की जवाबदेही तय करते समय सड़क सुरक्षा और न्यायसंगत प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? विवेचना कीजिए।

> **भूमिका:** सड़क सुरक्षा को चालक के साथ वाहन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी से जोड़ें।
>
> **मुख्य भाग:** धारा 199A का उद्देश्य, अपराध का आवश्यक तत्व, जानकारी न होने या समुचित सावधानी का बचाव, किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका और प्रक्रियागत दस्तावेजों का महत्त्व समझाएँ। केवल आरोप के आधार पर दोषी घोषित करने से बचें।
>
> **निष्कर्ष:** वाहन तक पहुँच पर जिम्मेदार निगरानी, यातायात शिक्षा, निष्पक्ष जाँच और कानूनसम्मत कार्यवाही का सुझाव दें। ये विश्लेषण-बिंदु हैं, वर्तमान मामले में न्यायालय के निष्कर्ष नहीं।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मोटर यान अधिनियम की धारा 199A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें किशोर द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने पर अभिभावक या वाहन-स्वामी के दायित्व का प्रावधान है।
2. अपराध की जानकारी न होने या उसे रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का प्रमाण बचाव का आधार हो सकता है।
3. इसमें अभिभावक के लिए किसी भी परिस्थिति में बचाव की अनुमति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

> **उत्तर: (a) केवल 1 और 2।** 2024 के आदेश में उद्धृत धारा 199A(1) में दायित्व के साथ जानकारी न होने और समुचित सावधानी के बचाव भी हैं। इसलिए कथन 3 गलत है।

प्रश्न 2. मोटर यान अधिनियम की धारा 199A(4) में अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीकरण कितने समय के लिए रद्द करने का प्रावधान है?

PCSMANTRA.COM

(a) तीन महीने

(b) छह महीने

(c) बारह महीने

(d) हमेशा के लिए

> **उत्तर: (c) बारह महीने।** 2024 के आदेश में उद्धृत धारा 199A(4) में बारह महीने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के 2019 के संशोधन-सार में भी यही अवधि दी गई है।

स्रोत और तथ्य-सीमा

- इंडियन एक्सप्रेस: किशोरों के वाहन-अपराध में अभिभावक का दायित्व, अद्यतन 29 अक्टूबर 2026 (पढ़ा)
- द हिंदू: 29 अक्टूबर की सुनवाई (पढ़ा)
- लाइव लॉ: गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण, 29 अक्टूबर 2026 (पढ़ा)
- केरल उच्च न्यायालय, 24 जून 2024 का आदेश, 2024:KER:44617; लाइव लॉ पर उपलब्ध प्रति (पढ़ा, विशेषतः अनुच्छेद 9 और 27)
- केंद्र सरकार: 1 सितंबर 2019 से लागू मोटर यान संशोधनों का सार (पढ़ा, क्रमांक 58)

सीमा: 29 अक्टूबर 2026 का मूल आदेश और वर्तमान मामले की FIR का पाठ उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिला। वर्तमान मामले का विवरण समाचार-रिपोर्टों पर आधारित है। धारा के लिए 2024 के आदेश में उद्धृत पाठ पढ़ा गया; India Code के पृष्ठ से पूरा धारा-पाठ प्राप्त नहीं हुआ। पुराने आदेश के सिद्धांत और वर्तमान मामले का अंतिम निर्णय अलग हैं।

PCSMANTRA.COM